आय कर ...

[illegible] कर का विकास (Development of Income Tax)

[illegible] में आय-कर अपने वर्तमान रूप में सन् 1860 में सर्वप्रथम उन वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए [illegible] गया था जोकि सन् 1857 के गदर की घटनाओं के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय इतिहास में [illegible] सन् 1860 में आय कर अधिनियम प्रतिपादित किये गये तथा इसी वर्ष निगम-कर भी लगाए गए। सन् 1860 से [illegible] के मध्य तक इन निगमों की कोई विशेष अहमियत नहीं रही क्योंकि ये एक वर्ष के बाद समाप्त कर दिये गए [illegible] दूसरे वर्ष पुनः लागू कर दिए गए, इस प्रकार यह क्रम 1886 तक चलता रहा।

[illegible] आयकर एक्ट 1886 अगले तीस वर्षों तक निरन्तर लागू रहा किन्तु सन् 1916 में प्रथम महायुद्ध के कारण [illegible] संशोधन कर दिया गया। आयकर एक्ट 1916 के अन्तर्गत विभिन्न आयों पर भिन्न दर से कर लगाए गए थे। इस [illegible] को सन् 1918 के एक्ट द्वारा हटा दिया गया और सन् 1922 में नया आयकर एक्ट प्रतिपादित किया गया। इस [illegible] एक्ट की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें करों एवं करों की दरों के सम्बन्ध में प्रशासकीय ढाँचा एवं कार्य पद्धति [illegible] वित्तीय वर्ष के अनुसार निश्चित किया गया। इस प्रकार इस एक्ट में करारोपण में लोचशीलता लाने का प्रयास [illegible] गया। सन् 1922 से पूर्व एक्टों में करों की दर एवं कर एक्ट के द्वारा निर्धारित होता था और उसमें यदि कोई [illegible] करना होता तो एक्ट में संशोधन करके ही सम्भव बनाया जा सकता था।

आयकर एक्ट 1922 अगने चालीस वर्षों तक अपरिवर्तनशील रहा तथा सन् 1961 में इस एक्ट में पूर्ण रूप से [illegible] कर दिया गया। यद्यपि 1922-61 की अवधि में एक्ट में कई संशोधन किए गए परन्तु सन् 1960 में आयकर एक्ट में इतने अधिक संशोधन कर दिए गए कि अब यह अनुभव होने लगा कि नया एक्ट ही बनाया जाए। इस प्रकार आयकर-एक्ट 1961 प्रस्तावित किया गया था जो अब भी चालू है।

तब से अब तक कर के ढाँचे में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इस कर में किये गये परिवर्तनों का मुख्य कारण जहाँ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना ही रहा है, वहाँ अन्य कई तत्वों ने भी आय-कर के ढाँचे के निर्धारण में अपना योगदान किया है, जैसे कि बदलती हुई आर्थिक दशाएँ, न्यायिक निर्णय और अनेक जाँच समितियों द्वारा किये गये प्रस्ताव। आय-कर आजकल सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत है और ऐसा स्रोत कि जिसमें केन्द्र सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकारें भी गहराई से रुचि लेती हैं और भविष्य में देश का जैसे-जैसे आर्थिक विकास होगा, वैसे-वैसे ही इस कर का महत्व और भी बढ़ने की सम्भावना है।

आयकर की सामान्य विशेषताएँ (General Features of Income Tax)

(1) करदाताओं का वर्गीकरण एवं देय आय (Categories of Tax Payers and Taxable Income)—प्रशासनिक सुविधाओं हेतु करदाताओं को निम्न छः भागों में वर्गीकृत किया जाता है—(i) व्यक्तिगत, (ii) अविभाज्य हिन्दू परिवार या संयुक्त हिन्दू परिवार, (iii) कम्पनियाँ (सार्वजनकि या निजी), (iv) स्थानीय संस्थाएँ, (v) हिस्सेदार फर्म, तथा (vi) व्यक्तियों का संघ।

Scanned with CamScanner

(2) आय का वर्गीकरण (Classification of Income)—वर्तमान में आय को छ: भागों में विभाजित किया जा सकता है—(i) वेतन, (ii) प्रतिभूतियों पर ब्याज, (iii) सम्पत्ति से आय, (iv) व्यापार से प्राप्तियाँ एवं लाभ, (v) अन्य स्रोतों से प्राप्त आय (लाभांश सहित) तथा (vi) पूँजी प्राप्तियाँ। आयकर सकल आय पर नहीं लगाया जाता है बल्कि विशुद्ध आय पर लगाया जाता है।

आय का विभिन्न श्रेणियों में बाँटना यह दर्शाता है कि प्रत्येक आय की श्रेणी पर कर देना अनिवार्य है। इन आयों पर कर-दर निर्धारिण करना आय वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं होता है। प्रत्येक स्रोत से कर-देय आय को एक ही आय कर फार्म पर दर्शाना होता है और कर निर्धारण इन सभी आयों को सम्मिलित करके किया जाता है। यद्यपि पूँजी प्राप्तियाँ पृथक् रूप से दर्शानी होती हैं तथा उस पर कर की दर सामान्य आयकर दर से भिन्न वसूल की जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में आय पर कर निर्धारण में समान प्रकृति की नीति अपनाई जाती है।

• आय की धारणा (Concept of Income)

भारत में सभी व्यक्तिगत, अविभाज्य हिन्दू परिवार, गैर-पंजीकृत फर्म तथा अन्य सभी व्यक्तियों के संघों की कुल आय पर कर लगाया जाता है। भारत में कृषि से प्राप्त आय पर कर नहीं लगाया जाता है, केवल गैर-कृषिगत आय पर ही कर लगाया जाता है। वर्तमान में कर आधार में केवल निवल आय ही सम्मिलित होती है। आयकर-एक्ट की भाषा में कर-आधार कुल आय कहलाती है।

आय का एक सामान्य रूप से स्वीकृत लक्षण यह है कि उसकी प्राप्ति में कुछ न कुछ नियमितता (regularity) होनी चाहिए। एक वर्ष में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण द्रव्य आय को साधारणत: **कुल आय** (gross income) कहा जाता है शुद्ध या निवल आय (net income) उस आय को कहते हैं जोकि व्यापारिक व्यय, मूल्य-ह्रास (depreciation) व्यय और व्यावसायिक हानियों को कुल आय में से निकालने के बाद किसी व्यक्ति या फर्म के पास शेष बचती है। इन कटौतियों (deductions) को निकालने के बाद जो आय शेष बचती है, उसे कर-योग्य आय (taxable income) या निवल आय कहा जाता है। परन्तु तथ्य यह है कि कर-योग्य आय के निर्धारण से पूर्व कई अन्य कटौतियाँ भी की जाती हैं जैसे कि कर प्राथमिकता वाले उद्योगों को प्रेरणा व प्रोत्साहन देने के लिए विकास छूट दी जाती है तथा लाभों में से सीधे कुछ कटौतियाँ करने की अनुमति दे दी जाती है। अत: कर-योग्य आय का निर्धारण करते समय तथा ऊपर बताये गये व्यय एवं कटौतियों की छूट प्रदान करते समय अनेक जटिल समस्याएँ सामने आती हैं।

(3) व्यक्तिगत कर-योग्य आय (Taxable income of an individual)—व्यक्ति की आय से चूंकि अनेक छूटें तथा कटौतियाँ कम हो जाती हैं, अत: कर-योग्य आय या निवल आय का निर्धारण करना एक बड़ा कठिन कार्य बना जाता है। संसार के लगभग सभी देशों में निवल आय की गणना करने से पूर्व व्यक्ति की आय में से **साधारणत: कई प्रकार की छूटें तथा कटौतियाँ कम करनी होती हैं। उदाहरण के लिए, भारत में एक न्यूनतम स्तर से नीचे की आमदनियाँ सामान्यत: कर-मुक्त कर दी जाती हैं तथा करदाता अपने अथवा अपनी पत्नी की जीवन बीमा पॉलिसियों पर जो प्रीमियम अदा करता है, उसे कर-मुक्त कर दिया जता है।**

आय पर प्रदान की जाने वाली ये माफियाँ तथा कटौतियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि—(1) कुछ सार्वजनिक, धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्थाओं की आय, (2) सहकारी समितियों की आय, (3) एक निश्चित सीमा तक कृषि-आय, (4) जीवन बीमे की किश्तों के रूप में अदा की गई धनराशि, (5) भविष्य निधि खाते (P.F. account) में जमा की गई धनराशि, (6) डाक-घर के नकद-पत्रों से प्राप्त आय आदि। करों में दी जाने वाली इन छूटों तथा माफियों का उद्देश्य यही होता है कि कुछ सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रोत्साहन दिया जाए। भारत में ये कर-माफियाँ तथा कटौतियाँ स्वीकार करने की शक्ति संसद को प्रदान की गई है।

(4) उपार्जित तथा अनुपार्जित आय (Earned and Unearned Income)—उपार्जित तथा अनुपार्जित आय में भेद उन सम्बन्धों के आधार पर किया जाता है जोकि किसी व्यक्ति की आय तथा उस आय को प्राप्त करने के प्रयत्नों के बीच पाया जाता है। उदाहरण के लिए, मजदूरियाँ (wages) श्रमिक की सेवाओं के बदले में दी जाती हैं, ब्याज (interest) पूँजी की सेवाओं का पुरस्कार है आदि-आदि, परन्तु जब तक कोई इकाई इतनी आय प्राप्त करती है

Scanned with CamScanner

जोकि उसकी सेवाओं के लिए सामान्य (normal) होती है, तब तक उस आय को उपार्जित आय कहा जाता हैं। परन्तु जैसे ही वह इकाई किन्हीं बाह्य तत्वों के कारण अपनी सामान्य आय से अधिक आय प्राप्त करने में समर्थ हो जाती है तो इस फालतू आय को **अनुपार्जित आय** कहा जाता है। उदाहरणत: यदि किसी नगर में जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ मकानों की माँग में भी वृद्धि हो जाती है। इससे हो सकता है मकान-मालिकों को अतिरिक्त किराया मिलने लगे और भूमि के मूल्यों में वृद्धि जो जाए। इन सभी मामलों में, सम्पत्ति के मालिक अधिक आय प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं और ऐसा उनके अपने प्रयत्नों के कारण नहीं होता, अपितु कुछ बाह्य परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है। अत: किसी इकाई की सामान्य आय को तो उपार्जित आय कहा जाता है और असामान्य आय (abnormal income) को अनुपार्जित आय। इस भेद को सन् 1968 के पश्चात् दूर कर दिया गया यद्यपि अनुपार्जित आय पर ऊँची दर से कर लगाया जाता है।

(5) कर-योग्य आय पर कर लगाने की गुँजाइश (Scope of Taxable Income)—अब तक हमने विभिन्न प्रकार की उन आमदनियों का विवेचान किया है जिन पर कि आजकल कर लगता है। परन्तु दो अन्य प्रकार की ऐसी आय भी हैं जिन पर कि अब पूरी तरह कर नहीं लगाया जाता है। इन दोनों में कम महत्वपूर्ण है आकस्मिक आय (casual income)। आकस्मिक आय पर कर लगाने की समस्या यही होती है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि कोई आय आकस्मिक रूप से प्राप्त हुई है या नहीं। किन्तु यहाँ उल्लेखनीय बात यह है कि न तो आकिस्मक आय से सम्बन्धित मामले हो अधिक होते हैं और न उसकी मात्रा ही अधिक होती है। अत: ऐसी आमदनियों पर कर लगाने की वर्तमान व्यवस्था को बदलने से किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती है।

दूसरी प्रकार की ऐसी आय का सम्बन्ध कृषि से है। कृषि आय पर केन्द्र सरकार द्वारा कर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि संविधान द्वारा इसे राज्य के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। कुछ राज्यों ने कृषि आय पर कर लगाया भी है परन्तु उनसे प्राप्त सरकारी आय बहुत थोड़ी होती है। कृषि-क्षेत्र से बाहर की आय, जो कि कुल आय की लगभग आधी होती है, के आधार पर ही प्रत्यक्ष व्यक्तिगत कराधान की किसी ऐसी पद्धति का निर्माण कर सकना बड़ा कठिन है जोकि वास्तविक रूप में इस बात का दावा कर सके कि वह सचमुच कर देय क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। अत: कृषि में तीव्र गति से होने वाले विकास, कृषि पदार्थों की बढ़ती हुई कीमतों तथा छोटे व बड़े किसानों के बीच की उत्पन्न होने वाली असमानताओं को देखते हुए यह अत्यन्त उचित है कि कृषि-क्षेत्र की आय पर भी कर लगाया जाए। कृषि आय पर कर लगाने की दृष्टि से ही भूतलिंगम कमेटी ने कृषि और गैर-कृषि आय के एकीकरण की सिफारिश की थी। किन्तु भारत सरकार ने **श्री के० एन० राज कमेटी** की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए कृषि-आय पर कर लगाने के लिए कुछ पग उठाये हैं।

(6) आय कोष्ठक तथा कर-दर ढाँचा (Income Brackets and Rate Structure)—साधनों को गतिशील एवं आय को पुनर्वितरित करने हेतु व्यक्तिगत आय के लिए एक प्रगतिशील कर ढाँचे की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर-योग्य आय को विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया जाता है तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर समूह के लिए कर की बढ़ी हुई दर लगाई जाती है। समय-समय पर आय कोष्ठक एवं कर की दरों के ढाँचे में परिवर्तन किये गए हैं।

(7) पारिवारिक छूट (Family Allowance)—आयकर ढाँचे में पारिवारिक छूट सन् 1955 में करारोपण जाँच आयोग, (1954) की सिफारिश के आधार पर लागू की गई। यद्यपि 1970-71 में यह प्रावधान रखा गया कि पारिवारिक छूट सन् 1971-72 से समाप्त कर दी जाए। इस प्रकार वर्तमान आय कर ढाँचे में करदाता की पारिवारिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कई देशों में आय कर ढाँचे में पारिवारिक छूट एक महत्वपूर्ण विशेपता है, आयकर निर्धारित करते समय भारत में भी यह ध्यान रखा जाता है। कर के लिए आय के जो विभिन्न समूह निर्धारित किए जाते हैं वे तो केवल एक औसतन परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रदर्शित करते है।

(8) कर अदा करने की योग्यता तथा आय कर (Ability to Pay Tax and Income Tax)—कर अदा करने की योग्यता के सिद्धान्त को आजकल कराधान का व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धान्त माना जाता है। आय कर को कई प्रकार से इस सिद्धान्त के अनुरूप बताया जा सकता है, उदाहरण के लिए कर-माफियाँ, मुक्तियाँ तथा छूटें प्रदान करके, आरोहण (progression) अथवा क्रमवर्धन (gradation) द्वारा तथा अधिकर (Sur-taxes) तथा अति-कर (super-taxes) लगाकर।

Scanned with CamScanner

(9) कर-माफी (Exemptions)—एक निश्चित न्यूनतम स्तर से नीचे आमदनियों को साधारणतः आय कर की अदायगी से मुक्त कर दिया जाता है। इससे कई लाभ हैं। उदाहरण के लिए, इससे समाज के कम सम्पन्न वर्ग को कर की अदायगी के बोझ से राहत मिलती है। दूसरे, इससे आय के वितरण में पायी जाने वाली असमानताओं को कम करने मे सहायता मिलती है तथा कर-पद्धति में आरोहण (progression) की व्यवस्था करना सम्भव हो जाता है। यही नहीं, इससे कर-संग्रह की कार्यकुशलता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। इस सम्बन्ध में भूतलिंगम समिति के निष्कर्षों का उल्लेख करना भी सामयिक ही होगा। समिति ने कहा था कि, "कुछ राजस्व अधिकारियों का अनुमान है कि यदि छोटे-छोटे कर निर्धारणों के कार्य में कटौती कर दी जाए तो कार्य की गति, मात्रा तथा किस्म में इतना सुधार होगा कि उनसे शेष बचा हुआ कार्य काफी तेजी से सम्पन्न किया जा सकता है और फलस्वरूप कर-निर्धारण के केवल शेष पड़े हुए अनिर्णीत मामलों को निपटाकर कर-संग्रह में 200 करोड़ रुपये की तो तत्काल ही वृद्धि की जा सकती है तथा इसके अतिरिक्त कर-संग्रह में 100 करोड़ रुपये वार्षिक की वृद्धि आगामी कुछ वर्षों तक के लिए सुरक्षित की जा सकती है।"

(10) कर-मुक्ति (Abatements)—सार्वजनिक, धर्मार्थ, पुण्यार्थ संस्थाओं को दान देने को प्रोत्साहित करने के लिए आय को कुछ सीमा तक पूर्णतः या अंशतः कर-मुक्त कर दिया जाता है। इस रियायत को कर-माफी या छूट (abatement) कहा जाता है। इस प्रकार का प्रावधान भारत में सर्वप्रथम सन् 1948 में रखा गया था। वर्तमान में दान की एक वर्ष के लिए न्यूनतम सीमा 2501 रुपया है तथा अधिकतम सीमा 1 लाख रुपया निर्धारित की गई है किन्तु यह सीमा करदाता की आय की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(11) कटौतियाँ एवं रियायतें (Deductions and Concessions)—इसके अतिरिक्त, कर-ढाँचे को कर अदा करने की योग्यता के सिद्धान्त के अनुरूप बनाने के लिए तथा उपयुक्त कारणों से कुछ छूटें (allowances), कटौतियाँ (deductions) एवं रियायतें (concessions) प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए, अनेक देश पारिवारिक छूट प्रदान करते हैं, अतः कर-निर्धारण से पूर्व आश्रित (dependents) की संख्या के आधार की आय में कुछ कटौतियाँ कर दी जाती हैं। कुछ देशों में चिकित्सा सुविधाओं पर व्यय की गई धनराशि का कुछ भाग कर निर्धारण से पूर्व व्यक्ति की आय में से घटा दिया जाता है। भारत में भविष्य निधि खाते (P.F. Account) की धनराशि को कर निर्धारण से पूर्व व्यक्ति की आय में से घटा दिया जाता था। ऐसी ही रियायतें कुछ सीमा तक जीवन बीमे की प्रीमियम अदायगी पर तथा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इण्डिया में किये गए निवेश (investments) से प्राप्त आय पर भी प्रदान की जाती थीं।

(12) कर छूट की सीमा तथा आयकर की दर में परिवर्तन (Changes in Exemption Limit and Rates of Income Tax)—भारत में आयकर व्यक्ति विशेष तथा अविभाज्य हिन्दू परिवार पर लगाया जाता है। निम्न आय-वर्ग को आयकर से मुक्त रखा जाता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् विशेषकर योजनाकाल में रुपये के मूल्य में निरन्तर गिरावट होती रही है, फलस्वरूप आयकर मुक्ति सीमा में समय-समय पर बढ़ोतरी की गई। सन् 1948 में आयकर मुक्ति सीमा केवल 3000 रुपये थी जिसे 1950 में बढ़ाकर 3600 रुपये कर दिया गया तथा सन् 1953 में यह सीमा 4200 रुपये कर दी गई। यद्यपि 1957 में यह सीमा पुनः घटाकर 3000 रुपये कर दी गई ताकि लोगों की आय का कुछ भाग देश के विकास कार्यों में लग सके। दस वर्ष पश्चात् अर्थात् 1966 में यह सीमा बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी गई। 1972 में यह सीमा बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई किन्तु पारिवारिक छूट को समाप्त कर दिया गया। सन् 1974 में पुनः इस सीमा में परिवर्तन किया गया और इसे बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया। वित्तीय एक्ट, 1975 में पुनः यह सीमा बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी गई। 1977 में यह सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गयी और 1980 में यह सीमा 12,000 रुपये निश्चित की गयी किन्तु यह प्रावधान रखा गया कि जिस करदाता की आय 12,000 रुपये से अधिक होगी, उस पर कर 8,000 रुपये आय की सीमा से निर्धारित होगा।

Scanned with CamScanner

1981-82 बजट मे आय-कर मुक्ति सीमा 12,000 रुपये से 15,000 रुपये कर दी गयी। 1984-85 के बजट प्रावधान मे सभी आय समूह पर आयकर की दर 5 प्रतिशत घटा दी गयी। इसके फलस्वरूप न्यूनतम कर-योग्य आय सीमा 15,001-20,000 रुपये पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया तथा अधिकतम कर-योग्य आय 1 लाख रुपये से अधिक पर 55 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया। बजट 1985-86 के प्रस्तावों के अनुसार आयकर मुक्त सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गयी। वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के बजट प्रस्तावों में आयकर में छूट की सीमा 1985-86 के अनुसार ही बनी रही। वर्ष 1988-89 और 1989-90 में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

वर्ष 1990-91 के बजट प्रस्तावों में कर-मुक्ति की सीमा (Exemption Limit of Income Tax)—को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये कर दिया गया तथा वर्ष 1991-92 के बजट प्रस्तावों में इसमें कोई परिवर्तन नही किया गया। वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्तावो मे कर-मुक्ति की सीमा (Exemption Limit of Income Tax) को 22,000 रुपये से बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दिया गया। 1992-93 के बजट प्रस्तावों के अनुसार भिन्न-भिन्न समूहो पर कर दर निम्न प्रकार है—

वर्ष 1993-94 के बजट प्रस्तावो में कर की दर एवं कर-मुक्ति की सीमा (Exemption Limit) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु बाद में वित्त-मन्त्री ने कर-मुक्ति की सीमा 28,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दी।

वर्ष 1994-95 के बजट प्रस्तावों में कर-मुक्ति (Exemption Limit) की सीमा को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया गया है। 1995-96 के बजट प्रस्तावों में आयकर मुक्ति (Exemption Limit of Income Tax) की सीमा को 35,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। वर्ष 1996-97 के बजट प्रस्तावों में छूट सीमा मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह 40,000 रुपये ही रही। वर्ष 1997-98 के बजट प्रस्तावों में भी आय कर-मुक्ति की सीमा (Exemption limit or nil rate slab of Income tax) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु आय कर की दरें प्रत्येक स्तर (slab) में घटा दी गई। वर्ष (2005-2006) के बजट प्रस्तावों में आयकर के ढाँचे में आधारभूत परिवर्तन किये गये। आयकर की छूट सीमा (Exemption Limit) जो वर्तमान में 50,000 रुपए है, बढ़ाकर एक लाख रुपया कर दी गयी। तत्पश्चात् के वर्षों मे आयकर की छूट सीमा (समान श्रेणी) बढ़ाकर 1,80,000 रु० कर दी गयी।

वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 में वरिष्ठ नागरिकों को दो श्रेणियों में बाँट दिया—(i) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष तथा 80 वर्ष के मध्य तथा (ii) वरिष्ठतम नागरिक (Very Senior Citizen) (80 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु)। वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष कर दी गयी। इन नागरिकों की आय कर सीमा 2,40,000 रु० से बढ़ाकर 2,50,000 रु० कर दी गयी तथा वरिष्ठतम नागरिकों की आय कर राहत सीमा बढ़ाकर 5,00,000 रु० कर दी गयी। वर्ष 2012-13 में इस श्रेणी के करदाताओं की आय कर सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया किन्तु सामान्य श्रेणी के करदाताओं की आय कर सीमा अवश्य 1.80 लाख रु० से बढ़ाकर 2 लाख रु० कर दिया गया।

वर्ष 2012-13 में आयकर की छूट सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 2,00,000 रुपये कर दी गयी किन्तु वरिष्ठ नागरिक की कर मुक्त आय सीमा 2.5 लाख रु० तथा वरिष्ठतम करदाताओं की कर मुक्त आय सीमा 5 लाख रु० ही बनी रहेगी।

वर्ष **2013-14** के बजट में आय कर सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया किन्तु 2 लाख रु० से 5 लाख रु० की आय सीमा के दायरे में आने वाले करदाताओं को कुल कर देय में 2000 रु० की एकमुश्त रियायत देने का प्रवाधान है। एक करोड़ रु० से अधिक आय प्राप्त करने वाले करदाताओं पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाने का प्रस्ताव है। निर्दिष्ट बचत पत्रों में अधिकतम 1 लाख का निवेश आय कर से मुक्त है। इसके अलावा 20,000 रु० तक इन्फ्रास्ट्रक्चरल बाण्डों में निवेश भी आय कर मुक्त है। नेशलन चिन्ड्रेन फण्ड में दान देने पर पूरी कर छूट प्राप्त होगी। राजीव गाँधी इक्विटी स्कीम के जरिये शेयर बाजार में निवेश पर अधिकतम 25000 रु० तक कर छूट।

Scanned with CamScanner